न्यायालय सहायक कलेक्टर फलौदी जिला जोधपुर

बइजलास– पुष्पा कंवर सिसोदिया (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 19/2019

बनाम

प्रार्थी

1. कुंभाराम पुत्र जोधाराम जाति मेघवाल निवासी मोरिया तहसील लोहावट

अप्रार्थी

1. भोमाराम पुत्र पेमाराम जाति भील नि निवासी मोरिया तहसील लोहावट

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः

1. श्री जोधाराम विश्नोई अधिक्ता प्रार्थी
2. श्री भूपेन्द्र कुमार भार्गव अधिवक्ता अप्रार्थी

–:: निर्णय ::–

दिनांक :–29.07.2019

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है की ग्राम मोरिया के खेत खसरा संख्या 232 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रार्थी की कब्जा काश्त व खातेदारी की आयी हुयी है। प्रार्थी अपने कब्जा काश्त में आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक कब्जा व काश्त चला आ रहा है। तथा अंवेरता आ रहा है। उक्त वादग्रस्त भूमि के चिपता चिपत ही अन्य सहखातेदारान का खेत खसरा संख्या 230 रकबा 15.19 बीघा है। खसरा संख्या 230 व 232 के बीच खसरा संख्या 231 गोचर भूमि का आया हुया है। प्रार्थी की उक्त भूमि फलौदी नागौर मुख्य सडक पर स्थित होने से बेशकिमती भूमि है। जिस पर अप्रार्थी की नियत खराब हो गयी है। तथा अप्रार्थी गोचर भूमि की आड में प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करना चाहता है। अप्रार्थी खसरा संख्या 231 के एवं 232 के मध्य निर्माण कार्य करवाकर प्रार्थी के खसरा पर कब्जा करना चाहते है।

दिनांक 24.02.2019 को अप्रार्थी अपने साथ मजदूर व भवन निमार्ण सामग्री लेकन प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि पर आया और प्रार्थी के बंट व हिस्सा की भूमि पर कब्जा करने की नियत से उक्त भूमि में निर्माण कार्य करवाने का प्रयास करने लगा तब प्रार्थी ने अप्रार्थी को निमार्ण कार्य करने से मना किया तो अप्रार्थी नाराज हो गया तथा प्रार्थी के साथ लडाई झगडा करने पर आमदा हो गया। तथा प्रार्थी को धमकी कि में आपके कब्जा काश्त की भूमि पर जोर जबरदस्ती कब्जा कर उक्त भूमि में स्थाई निर्माण कार्य करवा लूंगा जिस पर प्रार्थी को यह भय पैदा हो गया कि अगर अप्रार्थी अपने उक्त गैर काननी एवं विधि विरूद्ध कृत्य में सफल हो जाता है तो प्रार्थी को प्राप्त खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात होगा तथा प्रार्थी को ऐसी अपूर्णीय क्षति एवं हानि होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में नहीं किया जा सकेगा और पक्षकारों के मध्य मुकदमों की बाहुल्यता होगी इन परिस्थितियों में माननीय न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है।

यह है कि प्रार्थी अपने पक्ष में और अप्रार्थी के विरूद्ध इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है कि अप्रार्थी, ग्राम मोरिया के खसरा नं. 232 प्रार्थी के बंट हिस्सा एवं कब्जा काश्त भूमि में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावें और मौके एवं रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे। जिसका यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश है।

सहायक कलेक्टर (जोधपुर)

यह है कि प्रार्थी उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 232 का रेकर्ड खातेदार है तथा प्रार्थी की उक्त भूमि रहवासीय ढाणीयां पानी के टांके इत्यादि बनाये हुवे है जिसमे वह अपने परिवार सहित निवास करता आ रहा है इसलिये प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है अगर अप्रार्थी जोर जबरदस्ती प्रार्थी की खातेदार की कब्जासुदा भूमि पर अतिक्रमण कर नया निर्माण कार्य करवा लेता है तो उस स्थिति में अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को ही होगी।
अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में और अप्रार्थी के विरूद्ध इस आशय की सादिर फरमाई जावें कि अप्रार्थी, ग्राम मोरिया पटवार क्षेत्र मोरिया के खसरा नं. 232 प्रार्थी के बंट हिस्सा एवं कब्जा काश्त भूमि में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावें और मौके एवं रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे।

जवाब प्रार्थना पत्र

अप्रार्थी के पिता के नाम की एवं अन्य सहहिस्सेदारान् के संयुक्त खातेदारी अधिकारों की पैतृक कृषि भूमि गांव मोरिया में खेत खसरा नं. 230 के रूप में स्थित है जो भूमि अप्रार्थी के पिता फौत हो चुके है तथा उक्त भूमि पर अप्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी की उक्त भूमि के उत्तर की तरफ सरकारी खसरा नं. 231 की भूमि जवाब दावा के साथ संलग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही से मार्क अनुसार आई हुई है और उक्त खसरा नं. 231 चिपता चिपत ही पूर्व की तरफ अप्रार्थी के बंट एवं हिस्सा की खेत खसरा नं. 230 की भूमि आई हुई है तथा उसके पश्चात प्रार्थी का खेत खसरा नं. 232 एवं अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 230 की भूमि के कणे कणे पैमाईश फर्द दिनांक 21.05.09 के अनुसार पत्थर के खुंटे रोपकर तारबंदी की हुई है और इसी अनुसार ही अप्रार्थी का अपने बंट एवं हिस्सा की भूमि पर आज दिन तक लगातार शान्तिपूर्वक कब्जाकाश्त चला आ रहा है। अप्रार्थी को अपनी उक्त पैतृक भूमि खसरा नं. 230 की भूमि को उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है तथा अप्रार्थी द्वारा खसरा नं. 230 की भूमि में जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में मार्क अनुसार अपने हिस्से की भूमि में 50 फुट छोड. कर अपने हिस्से की भूमि पर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। जिसको रूकवाने का प्रार्थी को कतई कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थी ने अप्रार्थी पर अनुचित एवं अनैतिक दबाव बनाने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है।
अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के कब्जा काश्त खसरा नं. 232 की भूमि में किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य ही करवाया जा रहा है बल्कि अप्रार्थी द्वारा खसरा नं. 230 की भूमि में अपने बंट एवं हिस्सा की पर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है जिसको प्रार्थी ने दुर्भावना से प्रेरित होकर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बंद करवाया दिया है। मौके पर अप्रार्थी द्वारा लाखों रूपये की निर्माण सामग्री सीमेंट, बजरी वगैरा रखे हुवे है जो अभी वर्तमान में बरसात का मौसम होने से खराब हो रहे है जिससे अप्रार्थी को लाखों रूपये का नुकसान हो रहा है तथा वह अपनी खातेदारी अधिकारों की भूमि के उपयोग उपभोग से भी वंचित हो रहा है इसलिये अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को न होकर अप्रार्थी को हो रही है तथा अप्रार्थी अपने बंट एवं हिस्सा की भूमि पर निमार्ण कार्य करवाया जा रहा है। इसलिये सुविधा का संतुलन एवं प्रथम दृष्टया मामला भी अप्रार्थी के पक्ष में है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।
अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए बताया की ग्राम मोरिया के खेत खसरा संख्या 332 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा भूमि प्रार्थी की कब्जा काश्त व खातेदारी की आयी हुयी है। प्रार्थी अपने कब्जा काश्त में आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक कब्जा व काश्त चला आ रहा है। तथा

अंवेरता आ रहा है। उक्त वादग्रस्त भूमि के चिपता चिपत ही अन्य सहखातेदारान का खेत खसरा संख्या 230 रकबा 15.19 बीघा है। खसरा संख्या 230 व 232 के बीच खसरा संख्या 231 गोचर भूमि का आया हुया है। प्रार्थी की उक्त भूमि फलौदी नागौर मुख्य सडक पर स्थित होने से बेशकिमती भूमि है। जिस पर अप्रार्थी की नियत खराब हो गयी है। तथा अप्रार्थी गोचर भूमि की आड में प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करना चाहता है। अप्रार्थी खसरा संख्या 231 के एवं 232 के मध्य निर्माण कार्य करवाकर प्रार्थी के खसरा पर कब्जा करना चाहता है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया की अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के कब्जा काश्त खसरा नं. 232 की भूमि में किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नही करवाया जा रहा है बल्कि अप्रार्थी द्वारा खसरा नं. 230 की भूमि में अपने बंट एवं हिस्सा की पर निर्माण कार्य करवाया जा रहा है जिसको प्रार्थी ने दुर्भावना से प्रेरित होकर उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बंद करवाया दिया है। मौके पर अप्रार्थी द्वारा लाखों रूपये की निर्माण सामग्री सीमेंट, बजरी वगैरा रखे हुवे है जो अभी वर्तमान में बरसात का मौसम होने से खराब हो रहे है जिससे अप्रार्थी को लाखों रूपये का नुकसान हो रहा है तथा वह अपनी खातेदारी अधिकारों की भूमि के उपयोग उपभोग से भी वंचित हो रहा है इसलिये अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को न होकर अप्रार्थी को हो रही है तथा अप्रार्थी अपने बंट एवं हिस्सा की भूमि पर निमार्ण कार्य करवाया जा रहा है। इसलिये सुविधा का संतुलन एवं प्रथम दृष्टया मामला भी अप्रार्थी के पक्ष में है। इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

उभयपक्षकारान् अधिवक्ता की बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन तहसीलदार से रिपोर्ट मंगवाया जाकर वास्तविक स्थिती का पता लगवाया गया। तहसीलदार लोहावट की रिपोर्ट में पाया की प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 232 पर स्थगन लिया गया है तथा अप्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 232 में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करवाया जा रहा है अप्रार्थी द्वारा अपने खसरा संख्या 230 पर ही निर्माण कार्य करवाया जा रहा है।

उक्त तथ्यों के उजागर होने से प्रार्थी को किसी प्रकार की अपूर्णीय क्षति, नही हो रही है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष का नही बनना पाया गया अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य पाया जाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अपूर्णीय क्षति, सुविधा का संतुलन, एवं प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में नही होने से खारिज किया जाता है । तथा दिनांक 27.02.2019 को जारी स्थगन आदेश आज दिनांक से अप्रभावी रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.07.219 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुष्पा कंवर सिसोदिया आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
फलौदी

सहायक कलक्टर
फलौदी (जोधपुर)